कृषकों के हित में योजनायें

*डॉ. तरूण खेण्डलवाल

कृषको के हित में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सदैव अग्रणी रहा है। यह एक '' एक सबके लिए सब एक के लिए '' की भावना से प्रेरित है। राजस्थान की अधिकाशंत जनसंख्या कृषि से सम्बन्धित कार्य करती है। यह बैंक कृषि के विकास हेतु अनेकानेक योजनायें बनाकर कृषि को उन्नत एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषकों के हितो को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से विभिन्न योजनाऐं लागू की गयी ळैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) महिला विकास ऋण योजना :–

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 36 प्रा. सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 134 शाखाओं के माध्यम से महिलाओं के जीवनस्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से महिलाऐं निके स्वामित्व में ऋण के पेटे सिक्युरिटी के लिए रहन रखने हेतु अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड) नहीं है, को अकृषि एवं डेयरी उद्वेश्यों हेतु जमानतदारों की जमानत पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए '' महिला विकास ऋण योजना '' को प्रारम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत ऐसी महिलाओं कुटीर उद्योगों, हस्त शिल्प, ग्रामीण उद्योगों जैसे–चूड़ी निर्माण, कशीदा, कड़ाई, बुनाई, सिलाई कार्य व ब्यूटी पार्लर आदि/डेयरी उद्वेश्यों हेतु 50,000/– रूपये तक के ऋण आसान शर्तो पर दिये जा रहें है।

1. ऋणी की पात्रता :

योजनान्तर्गत ऋण प्राप्ति हेतु निम्नलिखित पात्रताऐं होनी चाहिए :–

- प्रार्थीया बैंक के कार्य क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए।
- जिस उद्वेश्य हेतु .ऋण चाहा गया है, उसका पूर्ण अनुभव हो।
- दो व्यक्तियों से ऋण एवं ब्याज के समय पर चुकारे के संबंध में जमानत लेनी होगी।
- दोनों में से एक जमानतदार प्रार्थिया का पति अथवा निकटतम रिश्तेदार होना आवश्यक है।
- दूसरे जमानतदार के सम्पति के पत्रादि की सत्यापित प्रति प्राप्त की जावे। उसके मूल पत्रादि का शाखा स्तर पर सत्यापित प्रति से मिलान आवश्यक रूप से किया जावें।

2. आवश्यक अभिलेख :

महिला सदस्य को निर्धारित ऋण प्रार्थना–पत्र को पूर्ण कर निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रधान कार्यालय या संबंधित शाखा में प्रस्तुत करने होंगे:–

- विकास कार्य की अनुमानित लागत का ब्यौरा।
- प्रार्थी/जमानतदार के स्वामित्व संबंधि अचल सम्पत्ति, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र अथवा भूमि विकास बैंक में सावधि जमा के मूल पत्रादि।

- क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों से ना–बकाया प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।
- प्रार्थिया के दो फोटो एवं राशन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति आवश्यक।
- डीड ऑफ गारण्टीज (मय गारन्टर की हस्ताक्षरित फोटो के)।
- गारन्टर द्वारा बैंक के पक्ष में अनुबंध करके देना होगा कि आवेदक द्वारा ऋण न चुकाने की अवस्था में इक्विटी मोर्टगेज में रखी सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार बैंक को होगा।
- ऋणी को दो व्यक्तियों की निर्धारित प्रपत्र में ऋण एवं ब्याज के चुकारे के संबंध में जमानत (पृथक–पृथक शपथ पत्र 10 रूपये के स्टेम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित)।

3. ऋण सीमा :

- अकृषि एवं डेयरी उद्वेश्य हेतु अधिकतम रूपये 50,000 / – तक के ऋण इस योजना में उपलब्ध कराये जायेगें।
- बैंक ऋण से सृजित होने वाली आस्तियों के मूल्य के 90 प्रतिशत तक उत्पादन ऋा स्वीकृत किये जायेंगे।

4. ब्याज दर :

- बैंक द्वारा समय–समय पर परिवर्तित ब्याज दर लागू होगी।
- अवधिपार राशि पर 3 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज देय होगा।

5. ऋण चुकारे की अवधि :

- ऋण चुकारे की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, जिसमे तीन माह का ग्रेस पीरियड सम्मिलित है।
- ऋण का चुकारा, इकाई की आय के अनुरूप मासिक / त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा।

6. प्रतिभूति :

- जमानत देने वाले व्यक्तियों की वित्तिय स्थिति सुदृढ होनी चाहिए।
- उसके पास भार रहित स्वयं / जमानतदार (गारन्टर) के स्वामित्व सम्बन्धि अचल सम्पत्ति, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र अथवा भूमि विकास बैंक में सावधि जमा राशि के खरीद मूल्य के 80 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। स्वीकृत ऋण भुगतान से पूर्व इनको बैंक के पक्ष में नामांकित कराया जाना आवश्यक है।
- बैंक ऋण से सृजित आस्त्यिों को बैंक के पक्ष के हाईपोथिकेट करानी होगी।

7. बीमा :

- बैंक ऋण से क्रय किये गये मशीनरी / दुधारू पशुओं का बीमा कराया जावेगा जो बैंक के पक्ष में होगा।
- बीमे की मूल प्रति बैंक में ऋणी सदस्य की पत्रावली में रखी जावेगी, जिसका नवीनकरण ऋण की अवधि तक प्रत्ये वर्ष बैंक द्वारा करया जावेगा।
- बीमा राशि ऋणी द्वारा वहन की जावेगी।
- नवीनीकरण की सूचना ऋणी सदसय को दी जावेगी एवं बीमा प्रीमियम की राशि ऋणी से किश्त के साथ प्राप्त की जावेगी।

8. हिस्सा राशि एवं प्रशासनिक शुल्क :

- ऋण के अनुपात में तीन प्रतिशत हिस्सा राशि एवं 0.25 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क देय होगा।

9. ऋण क्षमता :

- बैंक ऋण से सृजित होनी वाली आस्तियों के मूल्य के 90 प्रतिशत प्रार्थी की ऋण क्षमता मानी जावेगीं।

10. ऋण भुगताना की क्षमता :

- ऋणी सदस्य के ऋण क्षमता का आंकलन अकृषि एवं डेयरी प्रयोजन से प्राप्त शुद्व आय के आधार पर किया जावेगा।
- ऋण चुकोती क्षमता शुद्व आय का अधिकतम 75 प्रतिशत मानी जावेगी।

11. ऋण वितरण प्रक्रिया :

- मशीनरी/दुधारू पशु हेतु ऋण का भुगतान सम्बन्धित डीलर/सप्लायर को किया जायेगा।

12. महिला विकास समिति के सदस्यों को ऋण : राज्य की महिला सहकारी समितियों को भूमि विकास बैंकों से जोड़ते हुए इनके आर्थिक विकास के मध्यनजर भूमि विकास बैंकों द्वारा अब महिला सहकारी समिति की महिला सदस्यों को भी ऋण दिया जा सकता है।

(2) विद्युतीकरण :

विद्युत कनेक्शन लेने के लिए विद्युत विभाग में डिमाण्ड राशि जमा कराने हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 01004.2014 से 31.03.2015 तक 50 केसेज में रू. 53. 08 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 31.03.2016 तक 134 केसेज में रूपये 149.21 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2016–17 में 01.04.2016 से 30.09.2016 तक 14 केसेज में रूपये 18.89 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है।

(3) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना :

1. ऋण पात्रता :

- योजनान्तर्गत ऋण छोटे कारीगर, हथकर्घा बुनकरों, सेवा क्षेत्र/स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों, रिक्शाधारकों, अन्य लघु उद्यमकर्ताओं आदि हेतु।

2. ऋण का उद्वेश्य :

- कार्यशील पूंजी अथवा ब्लॉक पूंजी दोनों के लिए सुगमता से 50,000/– रूपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध।
- इससे अति सूक्षम उद्यमियों, ग्रामीण दस्तकारों, पारम्परिक व्यवसायियों एवं सेवा गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में वृद्वि के लिए उपलब्ध।
- योजना के तहत ऋण सुविधा, मियादी ऋण (ज्मतउ स्वंद) , चक्रकीय ऋण/नगर ऋण को शामिल करते हुए सम्मश्र ऋण ;ब्वउचवेजप स्वंदद्ध के रूप में होगी
- मियादी ऋण निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जायेगा।
- चक्रय/नकद ऋण का निर्धारण परिचालन चक्र/निवेश के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

3. ऋणी की पात्रता :

- प्रार्थी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

- जिस व्यवसाय के लिए साख सीमा का उपयोग करना चाहते है उसका उन्हे पूर्व अनुभव हो।

4. साख सीमा का निर्धारण :

- साख सीमा राशि के आंकलन प्रस्तावित व्यवसाय के आधार पर किया जायेगा।
- एक व्यक्ति को अधिकतम 50,000/– रूपये तक का सम्मिश्र ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रस्तावित कार्य के 90 प्रतिशत तक की साख सीमा स्वीकृत की जा सकती है।
- चक्रीय/नकद ऋण का पुर्नभुगतान की गई सीमा तक नवीनीकृत किया जा सकता है।
- इसकी चुकौती आहरण की तारीख से 12 माह के भीतर की जानी आवश्यक है।
- कुल ऋण सीमा का निर्धारण उधारकर्ता की निवत आय (छमज म्तदपदह) और पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर किया जायेगा।
- नगद ऋण खाते में जमा राशि और मियादी ऋण खाते में पुर्नभुगतान की स्थिति को ध्यान में रखकर ऋण सीमा का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जावे।

5. आवश्यक अभिलेख :

- साख सीमा हेतु प्राथमिक बैंक की शाखा में निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन किया जावेगा। प्रार्थना पत्र के साथ निम्न पत्रादि संलग्न किये जायेंगे :–
- प्रत्याभूति स्वरूप प्रस्तुत सम्पत्ति के मूल दस्तावेज
- जमानतदारों के निर्धारित प्रपत्रों में शपथ पत्र
- विकास कार्य की अनुमानित लागत एवं आय का ब्यौरा
- क्षेत्र की सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों से ना बकाया प्रमाण पत्र
- प्रस्तावित कार्य के संबंध में अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र
- ईकाई स्थल के स्वामित्व संबंधी पत्रादि अथवा वेद्य किरायानामा।
- दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो
- निवास संबंधित प्रमाण (टेलिफोन बिल/फोटो परिचय पत्र/राशन कार्ड आदि)

6. ब्याज दर :

- योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई साख सीमा पर बैंक द्वारा समय–समय पर परिवर्तित ब्याज दर लागू होगी।
- अवधिपार राशि पर 3 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज देय होगा।

7. हिस्सा राशि एवं प्रशासनिक शुल्क :

- ऋण के अनुपात में 3 प्रतिशत हिस्सा राशि एवं 0.25 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क देय होगा।

8. प्रत्याभूति :

- प्रार्थी द्वारा प्रत्याभूति स्वरूप निम्न में से एक या अधिक विकल्प चुने जा सकते है :–
- प्रत्याभूति स्वरूप स्वयं के स्वामित्व की भूमि/भवन के आधार पर क्षेत्र में समान भूमि के गत तीन वर्षो की औसत

विक्रय दर के आधार पर प्रत्याभूति स्वरूप प्रस्तुत भूमि/भवन के मूल्यांकन का 60 प्रतिशत तक साख सीमा का निर्धारण किया जा सकता है।

- ऋणी को कार्यक्षेत्र के दो या अधिक प्रतिष्ठित एवं साख वाले व्यक्तियों की जमानत के आधार पर साख सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। जमानतदारों से निर्धारित प्रपत्रों में शपथ पत्र प्राप्त किये जावें।
- प्रार्थी के नाम जारी राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं भूमि विकास बैंक में सावधि जमा राशि के खरीद मूल्य के 80 प्रतिशत तक साख सीमा स्वीकृत की जा सकती है। साख सीमा स्वीकृति भुगतान से पूर्व इनकों बैंक के पक्ष में नामांकित कराया जाना आवश्यक है।
- स्वीकृति साख सीमा तक के लिए व्यवसाय से जुडी समस्त सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में दृष्टिबन्धक ;भ्लचजीवजपबंजमद्ध रखना होगा।

9. ऋण का चुकारा :

- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 वर्षो के लिए होगी।
- खाते को वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जावेगा।
- कार्यशील पूंजी ऋण की चुकौती आहरण की तारीख से 12 माह के भीतर की जानी चाहिए।
- मियादी ऋण के चुकारे की किश्ते ईकाई के उत्पाद को ध्यान में रखते हुए मासिक/त्रैमासिक रूप से तय की जा सकती है।

10. बीमा :

- योजना के तहत उधारकर्ताओं को स्वतः दुर्घटना बीमा योजना के तहत शामिल किया जायेगा।

11. साख सीमा का परिचालन :

- साख सीमा स्वीकृत करने के पश्चात बैंक द्वारा संलग्न प्रारूप में लेमिनेटेड क्रेडिट कार्ड और पास बुक जारी की जावेगी। इस हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- पास बुक मे लेन देन के समय समस्त व्यवहारों की प्रविष्टियां की जावेगी।
- स्वीकृत साख सीमा के वर्ष में संतोषप्रद परिचालन के आधार पर साख सीमा का नवीनीकरण किया जावेगा। साख सीमा धारकों को समस्त भुगतान रेखांकित चैक द्वारा ही किये जायेगे।

राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत अकृषि गतिविधियों हेतु अधिकतम 50,000 तक के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.3.2015 तक 617 मामलों में 250.57 लाख के ऋण वितरित किये गये है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 31.03.2016 तक 683 मामलों में 278.39 लाख के ऋण वितरित किये गये थे। वर्ष 2016–17 में 01.04.2016 से 30.09.2016 तक 175 मामलों में 102.35 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये है।

4) पर्यटन सेवा ऋण योजना :

राष्ट्रीय बैंक के परिपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2004 द्वारा अकृषि उद्देश्य के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराने तथा स्ववित्त योजना में पुनर्भरण प्रदान करने की अनुमति दी गयी थी। राष्ट्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में पर्यटन गतिविधियों हेतु भूमि विकास बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन सेवा ऋण योजना लागू की

गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गतिविधियों हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 में कोई ऋण वितरण नहीं हुआ है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है।

(5) शैक्षणिक संस्थान हेतु ऋण योजना :

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने कार्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अच्छी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, विकास आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवा रही है। प्राथमिक बैंकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षण संस्था, जैसे मेडिकल कॉलेज, नर्सिग कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, प्रोद्योगिक तकनीकी संस्थान आदि के लिए इस योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जा रहे है। ऋण की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(6) उच्च शिक्षा ऋण योजना :

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के बच्चों को स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इन्जिनियरिंग मेडिल, वेटनरी, कृषि, फैशन तकनीक, आयुर्वेद, कम्प्यूटर शिक्षा, मैनेजमेन्ट आदि कोर्सेज में अध्ययन कराने हेतु इसी योजनान्तर्गत ऋण वितरण कर रही है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक अथवा प्रस्तावित व्यय का 80 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है।

(7) मुख्यमंत्री जलधारा योजना :

राज्य में पिछले कुछ वर्षो से हो रही अल्प वर्षा के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण क्षेत्र (अनूसूचित जनजाति/सहरिया क्षेत्र) की अधिकांश पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में वर्गीकृत हो गयी है, जिससे बैंकों को लघु सिंचाई उद्वेश्यों के लिए ऋण वितरण करने में कठिनाई उत्पन्न हुयी है। अतः क्षेत्र के कृषकों को डार्क जोन क्षेत्र में भी लघु सिंचाई योजना उद्वेश्यों जैसे नवकूप निर्माण, कूप गहरा करवाना, नलकूप निर्माण,, पम्पसेट विद्युतीकरण आदि उद्वेश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनूसूचित जनजाति/सहरिया क्षेत्र के 6 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारांक एवं सिरोही) की 25 पंचायत समितियों में (जिनमें सुरक्षित, 8 अद्वसंवेदनशील एवं 13 डार्क जोन में वर्गीकृत है) मुख्यमंत्री जनजाति (अनूसूचित/सहरिंया क्षेत्र) जलधारा योजना 15.12.2007 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है।

(8) ट्रैक्टर नकद ऋण वितरण योजना :

ट्रैक्टर योजनान्तर्गत कृषकों को ट्रैक्टर क्रय करने हेतु रेखांकित चैक द्वारा ऋण वितरित किये जा रहे है। ऋणी कृषक चैक को अपने बचत खाते में जमा कराकर अपनी पसन्द का ट्रैक्टर, मोल–भाव कर 15 दिवस में (विशेष परिस्थिति में एक माह में) क्रय करेगा। ऋणी कृषक द्वारा निर्धारित अवधि में ऋण का उपयोग नहीं करने पर बैंक द्वारा 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा तथा दिये गये ऋण की एकमुश्त वसूली की जावेगी। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 31.03.2016 तक 184 मामले में रू. 793.68 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2016–17 में 01.04.2016 से 30.09.2016 तक 26 मामलों में रू. 110.71 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है।

(9) बजट घोषणा वर्ष 2014–15 के बिन्दु संख्या 106, बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 81 एवं बजट वर्ष 2016–17 के बिन्दु संख्या 104 की क्रियान्विति :

बजट घोषणा :–

कृषि व कृषि सम्बद्व क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य के किसानों द्वारा भूमि मुनपचउमदज तथा ज्मबीदवसवहल में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से यह योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई इसलिए कृषि क्षैत्र. में दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना का अधिकाधि प्रचार–प्रसार कर देय होनी वाली मांग का समय पर पूर्ण चुकारा करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करते हुए अधिकाधिक संख्या में किसानों को येजना से लाभान्वित किया जायेगा।

बजट घोषणा वर्ष 2014–15 के बिन्दु संख्या 106 एवं बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 81 में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई। योजना में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कृषि व कृषि सम्बद्व गतिविधियों (विविधिकृत उद्वेश्यों) हेतु वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों का समय पर चुकारा करने पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया। राज्य सरकार की उक्त बजट घोषणा के अन्तर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा माह मार्च, 2016 तक राज्य के 6734 कृषकों को रूपये 3.50 करोड़ के ब्याज अनुदान की राहत प्रदान की गई है।

बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के बिन्दु संख्या 104 की क्रियान्विती में दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक योजना लागू रहेगी। योजना के प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों की वित्तीय वर्ष 2016–17 में बनने वाली मांग का चुकारा किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाकर कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु 15.14 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 30.09.2016 तक 3832 कृषकों को 2.87 करोड़ के ब्याज अनुदान की राहत प्रदान की गई है।

(10) डेयरी उद्यमिता विकास योजना :

डयेरी उद्यमिता विकास योजना वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जारी रहेगी। वर्ष 2016–17 में 30.09. 2016 तक 37 केसेज में 50.83 लाख के अनुदान दावें नाबार्ड को भिजवाये गये।

Head
Department of ABST
Shri Bhawani Niketan PG Boys College

स्त्रोत :

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के विभिन्न पेम्पलेट एवं वार्षिक प्रतिवेदन 49 से 51 तक के आधार पर